राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/ 3049-3088 दिनांक - 29.6.2012

कोषाधिकारी,

समस्त

विषय :- कोषालयों/उप कोषालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षित क0लेखाकार पदस्थापन के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि सभी कोषालयों/उप कोषालयों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) लागू की जा चुकी है। उक्त प्रणाली के सफल संचालन हेतु सभी कोषालयों/उपकोषालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षित (जानकार) लेखाकार/क0लेखाकार के भी पदस्थापन हेतु अनेक कोषाधिकारियों एवं उप कोषाधिकारियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।

अतः इस के क्रम में लेख है कि आपके अधीन कोषालयों/उप कोषालयों के यदि कोई कम्प्यूटर प्रशिक्षित लेखाकार/क0लेखाकार पदस्थापित रहा हो तथा वर्तमान में आपके जिले में किसी अन्य विभाग में कार्यरत है तथा आप उसे कोषालय/उप कोषालयों में पदस्थापित करवाना चाहते है तो इसके लिए संबंधित कार्मिक का नाम पद एवं वर्तमान में कार्यरत विभाग/कार्यालय का नाम सहित उसे कोषालय/उप कोषालय में पदस्थापित करवाने हेतु (पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों के अतिरिक्त) नामजद प्रस्ताव कर निदेशालय को प्रस्तुत करावें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

निदेशक

क्रमांक एफ 4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/ 3049 - 3088 दिनांक - 29.6.2012

प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक, कोष (IFMS) निदेशालय, कोष एवं लेखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)

कम्प्यूटर आज्ञा वेबसाईट हेतु